न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 289/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00143

अनवान

1. श्री केसुलाल उर्फ केशा पिता गंगाराम डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
मृतक :–
1/1 श्री मुकेश पिता केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/2 पुष्पा बाई पुत्री केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/3 चंदाबाई पुत्री केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/4 श्रीमती गणेशीबाई पत्नी केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री लालुराम पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
2. श्री किशनलाल पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
3. श्री लच्छीराम पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
4. सोहनीबाई पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
5. श्रीमती धापुबाई पत्नी नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
6. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तहसील मावली।
9. तहसीलदार मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 16.02.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली के आराजी नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 362 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि है जिसमें लालुराम किशनलाल लच्छीराम सोहनीबाई पिता नाना, धा[illegible] नाना का 1/3 हिस्सा एवं सुखा पिता गांगा का 1/3 हि[illegible], केसीया पि[illegible] गांगा (वादी) का 1/3 हिस्सा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

हैं। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 263 रकबा 8 बिस्वा, 264 रकबा 4 बिस्वा, 542/263 रकबा 6 बिस्वा, 545/264 रकबा 6 बिस्वा, 552/313 रकबा 9 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसमें लालुराम किशनलाल लच्छीराम सोवनीबाई पिता नाना श्रीमती धापु बेवा नाना 1/2 व केसीया पिता गांगा का 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज है व इसी प्रकार आराजी नम्बर 299 रकबा 12 बिस्वा भूमि सुखलाल केसुराम पिता गंगाराम 9/10 एवं कैलाश पिता नारायणसिंह 1/10 हिस्सा दर्ज हैं। इसी प्रकार आराजी नम्बर 245 रकबा 10 बिस्वा सुखा पिता गांगा 1/2 एवं केशीया पिता गांगा 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज है, इसी प्रकार आराजी खेत खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, 316 रकबा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 18 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर 1/2 व वादी के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार दर्ज हैं।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

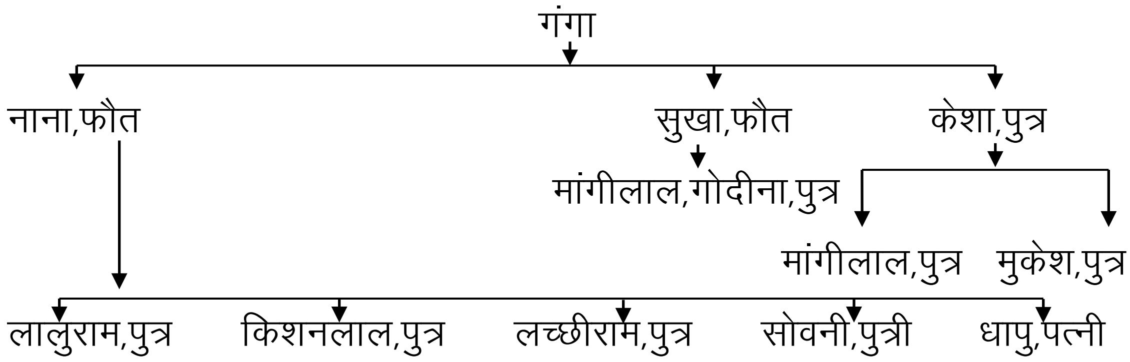

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का खातेदार सुखा उर्फ सुखलाल की मृत्यु दिनांक 29.12.1999 को हो गई जिसका गोद पुत्र मांगीलाल था जो कि मुझ वादी का ही लडका था। सुखलाल के हिस्से की जमीन उसके मरने के बाद विरासत से मांगीलाल के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी जो गलत दर्ज हो गई हैं। सुखलाल के हिस्से की जमीन को मांगीलाल ने अपने नाम दर्ज कराने हेतु आप न्यायालय में अपील पेश की तथा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 26.09.2011 म्यूटेशन संख्या 452 को निरस्त कराने हेतु अपील पेश की जो दिनांक 01.05.2012 को स्वीकार हुई तथा म्यूटेशन संख्या 452 खारिज किया गया। अपील संख्या 33/11 मांगीलाल बनाम लालुराम निर्णय दिनांक 01.05.2012 साथ संलग्न हैं।

4. यह कि मांगीलाल जो कि मुझ वादी का ज्येष्ठ पुत्र था बीमार रहने लगा जिसका मुझ वादी ने काफी ईलाज करवाया क्योंकि उसके कोई पुत्र पुत्री या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी नहीं थें। प्रतिवादीगण से भी मुकदमाबाजी होने से अनबन थी इसलिए मांगीलाल का सम्पूर्ण ईलाज मैने करवाया एवं बीमारी के दौरान उसकी सेवा चाकरी, देखभाल, दवाईयां, भरण पोषण भी मैने ही किया और मांगीलाल के मरणोपरान्त उसका क्रियाकर्म एवं अन्य सारा खर्चा भी मुझ वादी ने ही किया था इसलिए मैं वादी मांगीलाल के हिस्से की जमीन जो उसके पास सुखलाल से आई तथा उसके कब्जे काश्त में थी जो अब मुझ वादी के पास है को मैं वादी अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी हूं तथा प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया है उसे हटवाने का अधिकारी हूं।

5. यह कि सुखलाल, मांगीलाल की जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है उनके नाम विरासत से म्यूटेशन खोला जो गलत खोला जो खारिज हो चुका है लेकिन मांगीलाल का भी देहावसान हो चुका है तथा मांगीलाल का मैं वादी पिता होकर उसकी सारी देखभाल भरण पोषण व अन्य सारा खर्चा मैने किया हैं। मैं मांगीलाल का पिता हूं इसलिए मैं वादी वाद में वर्णित आराजीयात में सुखलाल के हिस्से की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार हूं। इस आशय की घोषणा कराने का अधिकारी हूं जो घोषणा कराई जावें। मुझ वादी ने प्रतिवादीगण लालुराम आदि को कई बार उक्त जमीन में सुखलाल के हिस्से की जमीन जो उनके नाम दर्ज हो गयी है मुझ वादी के नाम खाते दर्ज कराने हेतु कहा तो गाली गलौच की तथा मेरे नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया तथा जमीन को बेच देने की धमकी दी। दिनांक 01.11.2015 को भी मैने वापस खाते कराने हेतु कहा तो मारपीट करने पर आमादा हुए इसलिए वाद कारण पैदा होकर जारी हैं।

6. यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला हैं। वाद में वर्णित जमीन में सुखलाल के हिस्से की जमीन जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है उसे वापस हटाई जावे तथा वह मुझ वादी के नाम दर्ज की जावे। वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इसलिए उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे, न अन्य के मार्फत करावे तथा वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, न अन्य से करावें। उप पंजीयक मावली को पाबंद किया जावे कि वे उक्त जमीन बाबत् प्रति[illegible] कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे, न [illegible] से करावें। प्रतिवादीगण लालुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

किशनलाल लच्छीराम सोवनीबाई पिता नाना एवं श्रीमती धापु पत्नी नाना के नाम सुखा उर्फ सुखलाल के हिस्से की जमीन दर्ज हो गयी है उसे वापस हटाई जावें तथा वह पुरी मुझ वादी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के नाम आदेश जारी कराया जावें।

7. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में सुखलाल के हिस्से की जमीन का वादी खातेदार काश्तकार हैं। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी एवं सुखलाल के हिस्से की जमीन का वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादगत जमीन को प्रतिवादीगण किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे न अन्य के मार्फत करावें। प्रतिवादीगण उप पंजीयक को पाबंद किया जावे कि वे उक्त जमीन का प्रतिवादीगण कोई भी दस्तावेज रहन बैह बक्षीस का प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे, न अपने अधीनस्थ से करावें। जमीन जो सुखलाल के हिस्से की प्रतिवादीगण लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना एवं श्रीमती धापु पत्नी नाना डांगी के नाम दर्ज हो गयी है उसे वापस हटाया जावे तथा मुझ वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जावे जिसके लिए तहसीलदार साहब एवं संबंधित पटवारी हल्का को आदेशित किया जावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण जमीन बेच देवे या कब्जा कर लेवे तो पुनः वाद दायर की स्थिति को बहाल रखाया जावें। वाद का खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 7 से 10 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 श्रीमती गणेशीबाई पत्नी केसुलाल डांगी, गवाह पीडब्ल्यू 2 पुष्पाबाई पुत्री केसुलाल डांगी, गवाह पीडब्ल्यू 3 चंदा पुत्री केसुलाल डांगी, पीडब्ल्यू 4 श्री मुकेश पिता केसुलाल डांगी के पेश किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

गवाह पीडब्ल्यू 1 गणेशीबाई पत्नी केसुलाल डांगी द्वारा दस्तावेज मौजा वांगरोदी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 पेज 1 से 4 प्रदर्श 1, सुखलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2ए, मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए पेश किये। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल में स्थित आराजी नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 30 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 362 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा है जिसमें लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोहनीबाई पिता नाना व धापुबाई पत्नी नाना का 1/3 हिस्सा, सुखा पिता गांगा का 1/3 हिस्सा केशा पिता गांगा का 1/3 हिस्सा दर्ज है व आराजी संख्या 545/264 रकबा 6 बिस्वा आराजी संख्या 552/313 रकबा 9 बिस्वा किता 5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसमें लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोहनीबाई पिता नाना एवं श्रीमती धापुबाई पत्नी नाना का 1/2 हिस्सा व केशिया पिता गांगा का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 299 रकबा 12 बिस्वा भूमि सुखलाल, केशुलाल पिता गंगाराम का 9/10 वां हिस्सा दर्ज है व कैलाश पिता नारायणसिंह का 1/10 हिस्सा दर्ज हैं। आराजी संख्या 245 रकबा 10 बिस्वा सुखा पिता गांगा का 1/2 हिस्सा एवं केशिया पिता गांगा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। आराजी संख्या 313 रकबा 5 बिस्वा, 316 रकबा 13 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोहनीबाई पिता नाना एवं श्रीमती धापुबाई पत्नी नाना के नाम पर 1/2 हिस्सा व केशुलाल पत्नी नाना के नाम पर 1/2 हिस्सा व केशुलाल पिता गांगा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं।

9. यह कि सुखा उर्फ सुखलाल की मृत्यु दिनांक 29.12.1999 को हो गई जिसका गोदपुत्र मांगीलाल और सुखलाल के मरने के बाद उसकी सारी जमीन गोदपुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई जो गलत हुई है, जिसकी अपील मांगीलाल ने माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत की जो स्वीकार हुई तथा निर्णय दिनांक 01.05.2012 से नामान्तरकरण संख्या 452 को खारिज किया गया। मांगीलाल मृतक जो की केशुलाल जी का पुत्र था वह बीमार हो गया था काफी ईलाज भी केशुलाल जी ने कराया लेकिन वह अविवाहित ही फौत हो गये। जिसके मरणोपरान्त धार्मिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

रिति रिवाज से सारी रश्में कुशराम जी ने ही पुरी की तथा आज तक वादीगण के कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहे है केशुराम जी का भी देहान्त हो गया है जिनमें वारिस वादीगण श्रीमती पुष्पा, श्रीमती चंदाबाई श्रीमती गणेशीबाई है जिसका सुखलाल के हिस्से की जमीन पर कब्जा होकर मालिक है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए हम वादीगण सुखलाल के हिस्से की जमीन को हमारे नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है तथा खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रेकार्ड से हमारे नाम खातेदारी हक से दर्ज करायी जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार कर दत्तक पुत्र सुखलाल के हिस्से की जमीन हम वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा खातेदार काश्तकार हैं। इस आशय की घोषणा भी फरमाई जावें।

10. हमने अधिवक्ता वादीगण की लिखित बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रदर्श 1 ग्राम वांगरोदी पटवार भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर के नकल जमाबंदी संवत 2067—70 के खाता संख्या 122 पर दर्ज आराजी नम्बर 29 रकबा 5 बिस्वा भूमि लालूराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/6 सुखा, केसीया पिता गांगा 1/3 हि.ब. हीरा पिता नन्दा 1/2 डांगी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड जो नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 विरासत से सुखा पिता गांगा की बजाय पुरे खाते में नवीन अंकन लालूराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना, केसीया पिता गांगा डांगी के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार खाता संख्या 123 पर दर्ज आराजी नम्बर 28, 30, 362 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि लालूराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/3 सुखा, केसीया पिता गांगा 2/3 हि.ब. खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, जो नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 विरासत से सुखा पिता गांगा की बजाय पुरे खाते में नवीन अंकन लालूराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/2, केसीया पिता गांगा डांगी 1/2 के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। नामान्तरकरण संख्या 4[illegible] दिनांक 20.10.2011 से बेचान से आराजी नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि में किशनलाल, लच्छीराम पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

नाना 2/15 डांगी के बजाय भंवरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपुत वांगरोदा 2/15 के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई शेष बदस्तुर। इसी प्रकार खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी नम्बर 263, 264, 542/263, 545/264, 552/313 किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि लालूराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/2, केसीया पिता गांगा डांगी 1/2 सा.देह हि.ब. खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 20.10.2011 बेचान के अनुसार किशनलाल, लच्छीराम पिता नाना 2/10 डांगी की बजाय भंवरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपुत सा. वांगरोदा 2/10 के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई शेष बदस्तुर। नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 20.07.2013 बेचान के अनुसार केसिया पिता गांगा डांगी 1/2 के बजाय भंवरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपुत निवासी वांगरोदा 1/2 हि.ब. के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार खाता संख्या 148 पर दर्ज आराजी नम्बर 299 रकबा 12 बिस्वा भूमि सुखलाल, केसुराम पिता गंगाराम 9/10 डांगी, कैलाश पिता नारायणसिंह 1/10 सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। जो नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 विरासत से सुखलाल पिता गंगाराम 9/10 की बजाय लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 9/40 केसुराम पिता गंगाराम 27/40 डांगी के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी नम्बर 245 रकबा 10 बिस्वा सुखा, केसीया पिता गांगा डांगी सा.देह हि.ब. खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। जो नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 विरासत से सुखा पिता गंगा की बजाय लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/2 केसुलाल पिता गंगाराम 1/2 डांगी के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार खाता संख्या 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 313, 316 किता 2 कुल रकबा 18 बिस्वा भूमि सुखा पिता गांगा डांगी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जो नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 विरासत से सुखा पिता गंगा की बजाय लालुराम, किशनलाल, लच्छीराम, सोवनीबाई पिता नाना, धापु बेवा नाना 1/2 केसुलाल पिता गंगाराम 1/2 डांगी के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई।

प्रकरण में विवाद केवल मात्र सुखा/सुखलाल पिता गंगा/गंगाराम के नाम दर्ज हिस्सा भूमि तक है। प्र[illegible] अनुसार सुखा/सुखलाल पिता गंगा/गंगाराम का निध[illegible]या। इन[illegible]औलाद निधन के पश्चात विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purvadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

के नामान्तकरण संख्या 450 दिनांक 26.09.2011 से उसके निकटतम वारिसान के नाम भूमि दर्ज की गई। उक्त विरासत के नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 की अपील केशा के पुत्र मांगीलाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में की गई। न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 452 खारिज कर दिया एवं पुनः निर्णय की रोशनी में आदेश पारित करने के आदेश दिए गए। प्रदर्श 3ए अनुसार अपीलकर्ता मांगीलाल का निधन दिनांक 31.08.2015 हो गया। इसके पश्चात अपीलकर्ता मांगीलाल के पिता द्वारा उक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होकर निर्णित हो चुका है तथा उसमें निर्णय की रोशनी में पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करवानी चाहिए थी। इसके पश्चात अपीलकर्ता का निधन हो गया। वादी का कथन है कि अपीलकर्ता उसका पुत्र था जो लाऔलाद फौत हो चुका है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः ग्राम पंचायत को पारित करने हेतु निर्देशित कर दिया तो ऐसे में वादी को घोषणा का वाद प्रस्तुत नही करना चाहिए था। वादी को ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्व में पारित निर्णय की प्रति मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी। वर्तमान में वादी जो अपीलकर्ता मागीलाल का पिता था उसका भी निधन हो चुका है। वादी केसुलाल द्वारा वाद पत्र केवल मात्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता मांगीलाल बीमार रहने लग गया था जिसका सम्पूर्ण ईलाज एवं मरणोपरांत उसका क्रियाकर्म वादी द्वारा किए जाने से भूमि उसके नाम दर्ज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि मांगीलाल के बीमार रहने से उसका ईलाज करवाने एवं मरणोपरांत क्रियाकर्म करने से भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है। वादग्रस्त भूमि गोदनामे एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दर्ज होती है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निर्णय की रोशनी में नामान्तरकरण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadiya
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही करवानी चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 33/11 उनवान मांगीलाल बनाम लालुराम में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2012 की प्रति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार पालना करवाने के पश्चात बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री केसुलाल उर्फ केशा पिता गंगाराम डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली। मृतक :—

1/1 श्री मुकेश पिता केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/2 पुष्पा बाई पुत्री केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/3 चंदाबाई पुत्री केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
1/4 श्रीमती गणेशीबाई पत्नी केसुलाल डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री लालुराम पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
2. श्री किशनलाल पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
3. श्री लच्छीराम पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
4. सोहनीबाई पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
5. श्रीमती धापुबाई पत्नी नाना डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
6. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी वांगरोदी तहसील मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तहसील मावली।
9. तहसीलदार मावली तहसील मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 289/15 (वाद)

GCMS No. : 2015/00143

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 33/11 उनवान मांगीलाल बनाम लालुराम में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2012 की प्रति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार पालना करवाने के पश्चात बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.02.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:02 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली